न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 61 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. तेजाराम पुत्र पेमाराम 2. भेराराम पुत्र पेमाराम 3. भाखराराम पुत्र पेमाराम 4. सुण्डी पत्नी पेमाराम 5. चुनाराम पुत्र पेमाराम 6. लाडु पुत्र जेठाराम 7. जसराज पुत्र जेठाराम 8. चुकी पत्नी जेठाराम 9. आसुराम पुत्र हीराराम 10. पुनमाराम पुत्र हीराराम 11. रायचन्दराम पुत्र हीराराम 12. सांवलाराम पुत्र हीराराम 13. सुवटी पत्नी हीराराम 14. किसनाराम पुत्र चौथाराम 15. सोनाराम पुत्र चौथाराम 16. अमरू पत्नी उदाराम 17. भुराराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी लुणवा चारणान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. जगदीश पुत्र हरूराम 2. मुलाराम पुत्र हरूराम 3. रूखमण पुत्र हरूराम 4. केसाराम पुत्र कोजाराम 5. गंगाराम पुत्र कोजाराम 6. गणपत पुत्र कोजाराम 7. बालाराम पुत्र कोजाराम 8. भगवानाराम पुत्र कोजाराम 9. जीयचादेवी पत्नी कोजाराम 10. गणपतलाल पुत्र हीराराम 11. दीपाराम पुत्र हीराराम 12. बाबुलाल पुत्र वरिंगाराम 13. रामलाल पुत्र वरिंगाराम 14. अणसी पत्नी वरिंगाराम 15. धापुदेवी पत्नी चौथाराम 16. भुराराम पुत्र चौथाराम 17. खंगाराराम पुत्र तुलछाराम 18. बीरबलराम पुत्र तुलछाराम 19. सुरताराम पुत्र तुलछाराम 20. सुखराम पुत्र उदाराम 21. पांचा पुत्र भारता 22. बाबु पुत्र भारता 23. भारमल पुत्र भारता 24. मानाराम पुत्र भारता जाति विश्नोई निवासी लुणवा चारणान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 25. शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी 26. शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा गुड़ामालानी 27. शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी बैंक शाखा गुड़ामालानी 28. तहसीलदार गुड़ामालानी

07.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 04/2023 बअनवान जगदीश वगैरह बनाम तेजाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17.04.2023।

उपस्थित

1. वकील श्री लाधुराम पूनिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री जगदीशकुमार रेस्पोडेंट संख्या 04 से 09, 12 से 14, 18, 19 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 07.02.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत आवेदन पेश किया जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 37 ग्राम लुणवा चारणान में आई हुई है जिसके लिये कोई रास्ता रेकर्ड में नहीं है प्रार्थीगण अपने खेत से खसरा संख्या 36 में से होकर सड़क मार्ग से जाते है जो कदमी रास्ता है उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खुलवाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन को दर्ज कर अपीलांटगण को किसी भी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये। अब उतरदातागण ने अपीलांट को नुकशान पहुंचाने के लिए व उनका खेत खराब करने के लिए खेत के बिचो बीच नया रास्ता निकालने के लिए प्रस्तावित किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट में कही पर भी वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को

07.02.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। प्रस्तावित रास्ते से अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो टुकड़ों मे विभाजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय क सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये विना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में से रास्ता संयुक्त खातेदारी के पक्षकारों के कब्जे काश्त में आधी भूमि को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों की सहमति से प्रस्तावित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाई गई जिसे अपीलांटस द्वारा उठा लिया गया है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हस्तगत अपील अपीलांटस द्वारा उतरदाता को रास्ते के रूप में मिले वैधानिक अधिकार से वंचित करने तथा जानबुझकर परेशान करने के लिए पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

07.02.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट संख्या 04 से 09, 12 से 14, 18, 19 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे खसरें में कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस व्यक्तिगत तामील नहीं करवाये गये। मौका फर्द दिनांक 02.04.2023 में वर्णित किया गया है कि "प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 36 के खातेदारों के सहमति से उनके कब्जा काश्त, ढाणीयां एवं जोतों का बंटवारा अनुसारा 1/2 हिस्सा में से प्रस्तावित किया गया है" जबकि उपरोक्त मौका फर्द पर अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है। हस्तगत प्रकरण धारा 251ए का है जिसमें बंटवारा के नियम बिना अनुतोष चाहे पक्षकारों की बिना सहमति उन पर थोपा नहीं जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांटस की खातेदारी भूमि को दो टुकड़ों मे विभाजित किया गया जो स्वीकार्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251ए किसी खातेदार की जोत के टुकड़े कर असुविधा पैदा करने की अनुमति नहीं देता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये

17.12.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 04/2023 वअनवान जगदीश वगैरह बनाम तेजाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17.04.2023 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि यथासंभव अपीलांटस/विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के टुकड़े नहीं करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम दूरी वाले विकल्पों को ध्यान में रखते हुए बाद समुचित सुनवाई एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाई गई उसको आगामी आदेश में समायोजित किया जावे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2024 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर